FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

लिखमाराम .... बनाम .... लाखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा .... रा० प० आदेश .... नं. 196/2020 .... सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिडमाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा O-9 R-13 CPC राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/9/2020	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री धन्नाराम सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। शेष विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	N/O [illegible] 54 [illegible] 15/09/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

18/10/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिवक्ता उप. / शेष विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हुए 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है लिहाजा विप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के क्रम से दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 196/2020

प्रार्थी

1. लिखमाराम पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी नई रेवाली तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. लाखाराम पुत्र चन्दाराम
2. गिरधारीराम पुत्र बगताराम
3. खूमाराम पुत्र जालूराम
4. देराजराम पुत्र जालूराम
5. रामदान पुत्र उदाराम
6. मोटाराम पुत्र मेहरूराम
7. धाई पत्नी मेहरूराम
8. हेमाराम पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी नई रेवाली
9. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम
10. गोमाराम पुत्र मोडाराम
11. चेतनराम पुत्र मोडाराम
12. हेमाराम पुत्र जगनाराम
13. पुरखाराम पुत्र जगनाराम
14. गेंरोदेवी पत्नी पुरखाराम
15. रूपीदेवी पत्नी जेठाराम
16. भूरीदेवी पत्नी हेमाराम
17. चैनाराम पुत्र रूगाराम
18. सताराम पुत्र जगमालराम
19. केशाराम पुत्र जगमालराम
20. अणसीदेवी पत्नी जगमालराम
21. जेती पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी हरखाली
22. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू
23. तहसीलदार, बायतु

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी प्रारम्भिक निर्णय डिकरी दिनांक 18.11.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम खूमाराम वगैरा में पारित की गई।

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री घमण्डाराम सारण अधिवक्त विप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 16.10.2020

आदेश

प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम खूमाराम वगैरा में पारित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.10.2019 व जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.11.2019 को निरस्त कर उक्त वाद में प्रार्थी को जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 (वादीगण) द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर मौजा मुकनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 741 रकबा 90.19 बीघा, खसरा नम्बर 774/741 रकबा 04 बीघा तथा मौजा चौखाणियों का तला पटवार मण्डल भीमडा के खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 208.04 बीघा में अपने हिस्से की घोषणा व बंटवाड़ा करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तत किया।

इस वाद में वाद के दायर करते समय प्रथम बार ही न्यायालय ने जरिये डाक के सम्मन प्रेषित करने का इन्द्राज किया गया जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्री डाक के नोटिस प्रेषित करने का आदेशिका में दर्ज है परन्तु नोटिस जारी करने के कोई क्रमांक, दिनांक या आउटवर्ड आदि को कोई इन्द्राज नहीं है तथा प्रतिवादी का पता डाक विभाग की रसीद पर भीमडा दर्ज है जबकि पत्रावली में शामिल नोटिस पर प्रतिवादी का पता नई रेवाली हाल मुकनोणियों की ढाणी तहसील बायतु अंकित है। जिसके कारण सम्मन प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हो सकें तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्रवाही का आदेश पारित कर दिनांक 18.11.2019 को वादीगण के पक्ष में प्राथमिक डिक्री जारी कर, विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु से मंगवाने का आदेश जारी किया गया। प्रार्थी ने उक्त कारणों से व्यथीत होकर यह आवेदन एक पक्षीय कार्यवाही व प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया। साथ ही इस आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन कर प्रार्थी का आवेदन अंदर मियाद शूमार कर, स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण उपस्थित हुए। जिनके द्वारा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने पर सहमती जाहिर की गई है। फलतः प्रार्थी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विलम्ब के उप शमन पर प्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रकट किया गया कि प्रार्थी ने अपना आवेदन वास्तविक ज्ञान की तारीख से अदंर मियाद पैश किया है अतः न्याय हित में विलम्ब का शमन किया जाय।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम का विरोध नहीं हुआ। तथ्यों के आधार पर आवेदन अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने के सम्बन्ध में पत्रावली व पत्रावली के संलग्न रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

इन परिस्थितियों में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 02/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम खूमाराम वगैरा में प्रार्थी के विरूद्व पारित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.10.2019 व एकपक्षीय जारी प्राथमिक डिकरी दिनांक 18.11.2019 निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद में प्रार्थी को जवाबदावा व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested